कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक– 1951 / 198 / आउशि / बजट / 18 भोपाल, दिनांक 27/9/2018

प्रति,

(1) प्राचार्य,
नीचे दर्शाये अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

(2) प्राचार्य,
नीचे दर्शाये अनुसार संबंधित शास. अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय–"योजना कमांक 7134– नवीन महाविद्यालय प्रांरभ किये जाने हेतु अनुदान योजना" अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों को बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19

निम्नलिखित नवीन प्रांरभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों को महाविद्यालय संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं एवं आवश्यक सामग्री/व्ययों के लिए उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आंबटन जारी किया जाता है :–

स. क.	नवीन शासकीय महाविद्यालय	जिला	संबंधित अग्रणी महाविद्यालय	पत्र क. एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44 –2202–03–103–0101–7134	आवंटित राशि रूपये
1	शा.महावि. खिमलासा	सागर	शा.कला एवं वाणिज्य,सागर	अग्रणी 522/ 19.09.18	7134–22–003 फर्नीचर 7134–22–007 स्टेशनरी 7134–34–009 सामग्री पूर्ति–अन्य	33000 25000 50000
2	शा.महावि. बांदरी	सागर	शा.कला एवं वाणिज्य,सागर	अग्रणी 521/ 19.09.18	7134–22–003 फर्नीचर 7134–22–007 स्टेशनरी 7134–34–009 सामग्री पूर्ति–अन्य	33000 25000 50000
3	शा.महावि. नरयावली	सागर	शा.कला एवं वाणिज्य,सागर	अग्रणी 521/ 19.09.18	7134–22–003 फर्नीचर 7134–22–007 स्टेशनरी 7134–34–009 सामग्री पूर्ति–अन्य	33995 25000 50000
	कुल योग					**324995**

(2) उक्त राशि का आहरण/उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :–

44–2202–03–103–0101–7134–22–003– फर्नीचर
44–2202–03–103–0101–7134–22–007– स्टेशनरी
44–2202–03–103–0101–7134–34–009– सामग्री पूर्ति–अन्य

(3) सामग्री कय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार कय तथां सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावें।

(5) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

(6) नवीन शासकीय महाविद्यालयों को अभी डी.डी.ओ. कोड आवंटित नहीं है। अतः समक्ष में अकित संबंधित शासकीय महावि./अग्रणी महाविद्यालयों के डी.डी.ओ. कोड अंतर्गत राशि कोषालय सर्वर पर अपलोड है। अतः संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर नियमानुसार राशि का आहरण एवं भुगतान सुनिश्चित करें। उपयोग की गई राशि का नियमानुसार अभिलेख संधारित किया जावे।

(7) अगवत हो कि वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक सीमा निर्धारित की गई है। अतः आवंटित राशि का नियमानुसार यथाशीघ्र तत्काल आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि राशि लैप्स होने की स्थिति निर्मित न हो सके।

(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(9) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

26/9/18

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0— 1952/198/आउशि/बजट/18
प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक— 27/9/2018

1. विशेष सहायक मा.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. उप सचिव,मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा,भोपाल
7. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

......की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/9/18

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश